मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण, विकास के लिये स्वीकृति पत्र

संख्या–155 मु0वि0प्रा0 / मानचित्र संख्या– BF/C/VC/390/2014-15 दिनांक– 8-8-17 मैसर्स इवा डेवलेपर्स प्रा0 लि0 डाइरेक्टर श्री सुमित रहेजा पुत्र श्री स्व0 यशपाल रहेजा निवास– 301, नाबल टावर 2 से 93 ए नोएडा, स्थल– मौहल्ला सिविल लाईन्स, तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित प्लाट नं0 6 व 7 पर कुल क्षेत्रफल 6370.73 वर्गमीटर।

आपको सूचित करना है कि भवन निर्माण सम्बन्धी मानचित्र उ0प्र0 नगर नियोजन एंव विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति किया जाता है। जिसकी प्रति आदेश के साथ संलग्न है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से केवल 05 वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका मु0वि0प्रा0 रेलवे सेटिलमेंट, नोटिफिकेशन एरिया किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नही होता यदि प्रभावित होता है तो उसकी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता पर होगी ।
3. भवन मानचित्र जिसके प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा जो वह बिना आपत्ति के देय होगा ।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नही होगा, उस पर शासन अथवा किसी भी स्थानीय निकाय को विकास करने की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।
6. दरवाजे व खिड़कियॉ इस तरह लगाये जायेगें कि वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि अथवा सड़क आदि की ओर प्रोजेक्टेड न हो ।
7. बिजली की लाईन में 05 फीट के अन्दर से तथा विद्युत उपनियमों (पाईप लाईन) के विरूद्ध कोई कार्य न किया जायेगा ।
8. सड़क सर्विस लेन, सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री बिल्डिंग मैटिरियल नही रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वंय करना होगा ।
9. स्वीकृत मानचित्र का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना आवश्यक होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के द्वारा (स्पैसीफिकेशन) नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भूमि एंव भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वंय प्रार्थी पर होगी ।
10. सड़क पर अथवा बैक लैन में कोई रैम्प अथवा स्टेप्स नही बनाया जायेगा और वह अपना कार्य केवल अपने ही भूमि पर सम्पन्न करेगा।
11. मानचित्र में कटे हुए भाग का निर्माण नही किया जायेगा एंव निर्माण स्वीकृत मानचित्र के आधार पर की करना होगा ।
12. यदि मानचित्र में उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ किया जाता है तो वह पूर्ति मान्य होगी एंव भवन निर्माण सम्बन्धी समय–समय पर प्रसारित शासनादेशों को ध्यान में रखते हुए की किया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता इस स्वीकृत का उपयोग नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 को किसी भी धारा से बचने के लिये नही कर सकेगा और यदि उस स्वीकृति का विपरीत प्रभाव उपरोक्त अधिनियम को किसी भी धारा पर पड़ता है तो वह स्वीकृति उस सीमा तक निरस्त समझी जायेगी।
14. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण होने के 01 माह के अन्दर अपना कार्य पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त करेंगे। प्रमाण–पत्र के बगैर भवन प्रयोग में नही लायेंगे।
15. भू स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वंय आपकी होगी।
16. भवन का पानी नाली में ही जाये, सड़क पर न फैले । प्रार्थी को इसकी समुचित व्यवस्था करनी होगी।
17. समस्त निर्माण कार्य एन0पी0सी0–2005 के मानकों के अनुसार पूर्ण करना होगा।
18. निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राधिकरण से पूर्णतया प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
19. पार्किंग स्थल का उपयोग किसी अन्य उपयोग में नही किया जायेगा। अन्य प्रयोग किये जाने पर मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
20. नियमानुसार 50 पेड़ प्रति हैक्टेअर की दर से रोपड़ करने होंगे।
21. परिसर स्थित विद्यमान मंदिर तथा भू–स्वामित्व सम्बन्धित किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में आप स्वंय जिम्मेदार होंगे।
22. सीवर लाईन स्थल पर उपलब्ध है।
23. नियमानुसार वाटर सप्लाई हेतु प्राविधान किया जाना होगा।
24. ड्रेनेज का समुचित प्राविधान किया जाना होगा।
25. सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का प्राविधान करना होगा।

(26) पूर्व स्वीकृत दिनांक [illegible]–3–2015 का [illegible] समाप्त।
(27) [illegible] पालन [illegible] किया जाना होगा।

भवदीय

जोनल अधिकारी,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद।